कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 3855 **ई-आफिस / JJM / 2025-26/** 452 **दिनाँक-** 15/10/**2025**

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-09/10/2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिला सभागार में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ AE/JE,DPMU,व दोनों फर्म वेलस्पन/VTLके प्रो0 मैनेजर के साथ सम्बन्धित ब्लाक हेड के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों,कर्मचारियों एवं VTL ववेलस्पन के प्रो0 मैनेजर को निम्न निर्देशदिये गये -

1. समीक्षा बैठक में पाया गया कि IGRS पोर्टल पर 250 एवं JJM हेल्पलाइन पोर्टल पर 415 शिकायते निस्तारण हेतु लम्बित है। अधिशाषीअभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतों के निस्तारण हेतु एक माह का समय होता है और समय सीमा के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि O&M श्रेणी में घोषित पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत की गयी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर व अन्य शिकायतों का निस्तारणभी समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाए।

2. यह कि O&M की श्रेणी में लाने हेतु प्रथम सूची के 02 एवं द्वितीय सूची से 25 पेयजल परियोजनाओं के विवरण पत्र पर यथाशीघ्र कमियों को पूर्ण करके दोनों फॉर्म सम्बन्धित अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अधिशाषी अभियन्ता जल निगम के माध्यम से पत्रावली जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजवाना सुनिश्चित करें। प्रथम सूची के लम्बित 02 पेयजल परियोजना माधोपुर (कटेहरी) में प्रेशर की समस्या का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा पेयजल परियोजना हल्दिया जल्लापुर (जहाँगीरगंज) के O&M के विवरण पत्र पर फर्म द्वारा कमियों को दूर करने के पश्चात ग्राम प्रधान हल्दिया जल्लापुर द्वारा हस्ताक्षर न करने की दशा में ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से नोटिस निर्गत की जाए।

3. O&M की श्रेणी में घोषित पेयजल परियोजनाओं में जहाँ-जहाँसड़के टूटी हैं। इस सम्बन्ध निर्देशित किया जाता है कि दोनों फर्म जनमानस की सुविधा को दृष्टिगत करते हुए यथा शीघ्र सड़क मरम्मत किया जाना सुनिश्चित करें।

4. यह कि जनपद में 571 शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष मात्र 177 शिरोपरी जलाशय का निर्माण किया गया है जो संतोषजनक नहीं है। दोनों फॉर्म को निर्देशित किया जाता है कि मैनपॉवर बढ़ाकर शिरोपरी जलाशय के निर्माण कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

1-GV

5. यह कि जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर को जल जीवन मिशन के प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के द्वारा O&M की श्रेणी में घोषित किये जाने हेतु भेजी गयी पेयजल परियोजनाओ में से कितनी पेयजल परियोजनाएँ O&M में घोषित की जा चुकी है के विषय में पूछे जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी की अनुपस्थिति में स्पष्ट उत्तर न मिलने की स्थिति में निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाए तथा वह अग्रिम आयोजित होने वाली प्रत्येक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 14-10-2025
13:44:49

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।
3- डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4- अधिशाषी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5- AE/JE जल निगम ग्रामीण को इस आशय के साथ कि निर्देशित सभी विन्दुओं का अक्षरसः अनुपालार्थ।
6- दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

2-GV